झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

1.	संक्षिप्त नाम, छूट एवं परिभाषाएँ ।
2.	पर्यटन विकास प्राधिकार की स्थापना गठन ।
3.	पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालन का निबंधन ।
4.	अपील और पुनरीक्षण ।
5.	अपराध और शास्तियाँ ।
6.	प्रकीर्ण ।

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

खण्ड :

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :: 1
2. छूट :: 1
3. परिभाषाएँ :: 2

अध्याय–2
पर्यटन विकास प्राधिकार

4. प्राधिकार की स्थापना और गठन :: 5
5. पदावधि :: 7
6. निरर्हता :: 7
7. प्राधिकार की बैठकें :: 8
8. प्राधिकार की स्थापना, शक्तियाँ और कृत्य :: 8
9. प्राधिकारी की निधियाँ :: 12
10. बजट लेखा और अंकेक्षण :: 12
11. लेखाओं का विशेष अंकेक्षण :: 13
12. वार्षिक प्रतिवेदन :: 14

अध्याय–3
पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालन का निबंधन

13. पर्यटन इकाई का निबंधन :: 14
14. यात्रा अभिकर्ता या गाईड का निबंधन :: 14
15. साहसिक क्रीड़ा संचालक का निबंधन :: 15
16. पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक के निबंधन का प्रमाण–पत्र :: 16
17. पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक ऑपरेटर के निबंधन से इन्कार :: 16
18. रजिस्टर से, पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्त्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक का नाम हटाना :: 17
19. पर्यटन इकाई का वर्गीकरण :: 19
20. उचित दरों की अधिसूचना :: 19
21. उचित दरो का पुनरीक्षण :: 20
22. उचित दरें अधिसूचित करना, जब तक कि विहित अधिकारी द्वारा अधिसूचित न की जाए :: 20
23. सूचना का प्रदर्शन :: 21
24. उचित दरों से अधिक वसूलीय प्रभार :: 21
25. यदि उचित दर भुगतान की गई हो तो बेदखल न किया जाना :: 21
26. पर्यटन इकाई संचालक कब कब्जा वापस ले सकेगा :: 22
27. पर्यटन इकाई संचालक, यात्रा अभिकर्त्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा बिलों :: 22

का ब्यौरे–बार पेश किया जाना
28. पर्यटन इकाई संचालन कब विशेष दर पर बुकिंग का पुष्टिकरण कर सकेगा : 22
29 प्रवेश, निरीक्षण, अभिग्रहण की शक्ति और पर्यटन इकाई संचालक इत्यादि द्वारा सांख्यिकी आंकडे प्रदत्त करना : 23
30 यात्रा अभिकर्त्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा टिप (बख्शीश) इत्यादि न माँगना : 23
31. बीमा : 24

अध्याय–4
अपील और पुनरीक्षण

32 अपील : 24
33. पुनरीक्षण : 24

अध्याय–5
अपराध और शास्तियाँ

34 प्राधिकार के किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति : 25
35. निबंधन में व्यतिक्रम के लिए शस्ति : 26
36. मिथ्या कथन के लिए शस्ति : 26
37. प्रमाण–पत्र के बिना अनुज्ञा के समनुदेशित न किया जाना : 26
38. व्यक्तियों के माँगने पर प्रमाण–पत्र दिखाया जाना : 26
39. अनाचार के लिए शस्ति : 27
40. विधियुक्त प्राधिकारियों को बाधा पहुँचाना : 27
41. मामलों का संक्षेपतः विचारण करने की न्यायालयों की शक्ति : 27
42. कार्यवाहियाँ संस्थित करना : 27
43 विहित प्राधिकारी के साक्षियों तथा अन्य व्यक्तियों को समन करने और हाजिर करवाने की शक्ति : 28
44. अपराधों का शमन : 28

अध्याय–6
प्रकीर्ण

45. परिवर्तनों की अधिसूचना : 28
46. निबंधन प्रमाण–पत्र वापस करना : 29
47. नकल प्रमाण–पत्र : 29
48. प्रमाण–पत्र का नवीकरण : 29
49. निबंधन प्रमाण–पत्र का प्रदर्शित रखा जाना : 29
50. विहित प्राधिकारी के समक्ष हुई कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियाँ होना : 30
51. परित्राण : 30
52. अन्य व्यक्तियों के लिए अधिनियम को लागू करने की सरकार की शक्ति : 30
53 नियम बनाने की शक्ति : 32
54 व्यावृत्ति

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

पर्यटक व्यापार में कार्यरत व्यक्तियों के निबंधन और पर्यटन विकास प्राधिकारों का गठन और उससे संबंध मामलों या उससे संबंधित विधि को अधिनियमित करने के लिए अधिनियम।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है।

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 कहलाएगा। *संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ।*

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य पर है।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से से प्रवृत होगा।

2. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के समस्त या कोई उपबन्ध, यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निबन्धों के अधिन साधारणतया लागू नहीं होंगे : *छूट*

(i) दान प्रकृति के लोक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त परिसर या ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त परिसर की कोई श्रेणी,

(ii) लोक न्यास द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए, धारित और नाम मात्र किराये पर दिये गये परिसर,

(iii) लोक न्यास द्वारा धार्मिक या दान हित प्रयोजन के लिए धारित और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रशासित परिसर,

(iv) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा या चलाया जा रहा विश्राम–गृह, डाक बंगला, सर्किट हाउस, निरीक्षण कुटीर, सराय या कोई संस्था अथवा परिसर,

(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा यह निदेश भी दे सकेगी कि ऐसी शर्तों तथा परिस्थितियों के अध्यधीन, यदि कोई हो, अध्याय–प्ट के सभी

या उनमें से कोई उपबन्ध, ऐसे होटलों या संस्थाओं, या होटलों अथवा संस्थाओं के ऐसी श्रेणी पर लागू नहीं होंगे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

परिभाषाएँ :

3. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो:

(क) **"साहसिक क्रीड़ा"** से अभिप्रेत है भाग लेने वाले व्यक्ति के जीवन या अंग का जोखिम वाला, यथास्थिति, भूमि पर या जल में अथवा वायु में क्रीड़ा या आमोद–प्रमोद हेतु बाह्य क्रिया–कलाप, जिसमें जल–क्रीड़ा, वायु–क्रीड़ा, पैदल चलना (ट्रेकिंग), रॉक क्लाइंम्बिंग, रापिटंग, बंजी जंपिंग, बैलूनिंग या सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित कोई अन्य खेल–कूद;

(ख) **"साहसिक क्रीड़ा संचालक"** से अभिप्रेत हैं व्यवसायिक आधार पर साहसिक खेलकूद अर्थात् प्रशिक्षण, आमोद–प्रमोद या क्रीड़ा के प्रयोजन के लिए लगा हुआ या लगने का प्रस्ताव करने वाला, यथास्थिति, कोई व्यक्ति या संगठन या उद्यम;

(ग) **"सुख–सुविधा"** के अन्तर्गत सड़क, जल आपूर्ति?, बाजार–सड़कों पर प्रकाश, जल निकास, मल प्रणाली, शौचालय, सूचना केन्द्र, उपहार दुकान, कूड़ा निष्पादन, बार, रेस्तराँ, होटल, मोटल, गोल्फ कोर्स, मनोरंजन पार्क, अतिथिशाला, विद्यालय, आवास, अस्पताल और मनोरंजन की विभिन्न सुविधाएँ तथा अन्य ऐसी सहूलियतें और सुविधाएँ, जिन्हें राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुख–सुविधा विनिर्दिष्ट करें;

(घ) **"प्राधिकार"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित पर्यटन विकास प्राधिकार;

(ङ) **"निबंधन प्रमाण–पत्र"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रमाण–पत्र;

(च) **"विभाग"** से अभिप्रेत है पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार;

(छ) **"सरकार"** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;

(ज) **"गाईड"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो पर्यटकों के लिए स्वयं वैतनिक गाईड के रूप में लगा है;

(झ) **"स्थानीय प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है नगर निगम या नगरपालिका परिषद् या छावनी बोर्ड या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण;

(ञ) **"अनाचार"** के अन्तर्गत है छल, दलाली, प्रतिरूपण, ठहरने या यात्रा व्यवस्था के स्वतंत्र चयन में बाधा डालना, इस अधिनियम के अधीन नियत से अधिक किराया या पारिश्रमिक प्रभारित करना, किराये की सूची प्रदर्शित करने में असफल रहना, कैशमेमो देने में असफल रहना, निर्धारित अवधि के भीतर तथा सहम हुई शर्तो के अनुसार आदेश के निष्पादन में जानबूझ कर असफल रहना और साहसिक खेल–कूद संचालक द्वारा उपलब्ध होने पर पर्यटकों को आवास सुविधा की व्यवस्था करने में असफल रहना, और घटिया उपस्कर और अप्रशिक्षित कार्मिकों की व्यवस्था करना;

स्पष्टीकरण – **"दलाली"** पद से अभिप्रेत है आवास–सुविधा, परिवहन, सैर–सपाटे के लिए अवपीड़ित करना या किसी विशेष परिसर, प्रतिष्ठान व्यक्तिगत लाभ के प्रतिफल से पर्यटन संबंधी किसी अन्य सेवा के लिए परेशान करना;

(ट) **"राजपत्र"** से अभिप्रेत है राजपत्र, झारखण्ड;

(ठ) **"विहित"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ङ) **"विहित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित प्राधिकारी, परन्तु विभिन्न क्षेत्रों के लिए तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न प्राधिकारी अधिसूचित किये जा सकेंगे।

(ढ़) **"विनियम"** से अभिप्रेत है, धारा–4 के अधीन गठित प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन, बनाया गया विनियम;

(ण) **"नियम"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम;

(त) **"सीजन"** से अभिप्रेत है 15 सितम्बर से 15 मार्च और 15 अप्रैल से 15 जून तक की अवधि और शेष अवधि "ऑफ सीजन" होगी;

(थ) **"पर्यटन इकाई"** से अभिप्रेत है सरकार द्वारा समय–समय पर पर्यटकों को सुविधाएँ और सेवाएँ उपबन्धित करने वाला कोई स्थापन, यथा अधिसूचित जिसमें होटल रिजार्ट, मोटल, समय शेयर इकाईयों, खण्ड (अपार्टमेन्ट), गृह–नौका, मोटर करवाँ, अतिथि गृह, यात्री निवास, रेस्तराँ और शराब घर, आमोद–प्रमोद पार्क, थीम पार्क, जल–क्रीड़ा केन्द्र, वायु–क्रीड़ा केन्द्र, घनीय प्रतिफल हेतु साहसिक खेल–कूद के लिए प्रशिक्षण संस्थान/पर्यटन उद्योग के लिए कारोबार करने वाले और सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित, किसी अन्य प्रकार का स्थापन भी शामील है;

(द) **"पर्यटक इकाई संचालन"** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो पर्यटन इकाई का स्वामी हो, इसे चलाता हो या परिचालन करता हो, तथा इसके अन्तर्गत स्वात्वधारी की ओर से काम–काज का प्रबंधन करने या परिचालन करने वाला व्यक्ति भी शामील है;

(ध) **"पर्यटक"** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य में यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों सहित, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह;

(न) **"यात्रा अभिकर्त्ता"** से अभिप्रेत है धनीय प्रतिफल हेतु पर्यटकों के लिए यात्रा व्यवस्था के कारोबार में लगा हुआ व्यक्ति;

स्पष्टीकरण– "यात्रा व्यवस्था" शब्द प्रयोग के अन्तर्गत शामिल है:

(क) किसी भी ढंग द्वारा, परिवहन के लिए इंतजाम;

(ख) खान–पान सहित या रहित आवास की व्यवस्था; और

(ग) अन्य सेवाएँ करना. जैसे कि क्रीडा और खेल–कूद या पर्यटक के व्यक्तिगत सामान की प्राप्ति या प्रेषण अथवा पर्यटक के फोटोचित्र लेने की व्यवस्था करना, गाईडों, फोटोग्राफरों को भाड़े पर लेना, यात्रा या साहसिक क्रीड़ा के लिए उपस्करों का इतजाम करना।

अध्याय–2
पर्यटन विकास प्राधिकार

प्राधिकार की स्थापना और गठन।

4. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, विनिर्दिष्ट पर्यटक स्थल जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, "पर्यटन विकास प्राधिकार" के नाम से एक प्राधिकार की स्थापना कर सकेगी।

ऐसे पर्यटक स्थल को अधिसूचित करते समय इसके विस्तार एवं क्षेत्राधिकार का भी विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा, ताकि ऐसे प्राधिकार के क्षेत्राधिकारी को स्पष्ट रूप से कर्णांकित किया जा सके।

(2) प्राधिकार, उपर्युक्त नाम का एक निगमित निकास होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारणं और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी, या उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) (i) प्राधिकार में एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक एक कार्यकारी निदेशक तथा छः अन्य निदेशक होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाऐंगे और जो राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त इस निमित विहित निबंधनों और शर्तों पर अपना पद धारण करेंगे।

(ii) प्राधिकार के निदेशक सरकार के अधिसूचना द्वारा, इन व्यक्तियों में से, जिन्होंने पर्यटन उद्योग के विकास और

प्रोन्नति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, या निपुणता प्राप्त की है, और जिनको पर्यटन व्ययवसाय में कम से कम दस वर्षो के कार्यो का अनुभव है, शामिल किए जाएगें।

(iii) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के प्रधान सचिव/सचिव प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे।

(iv) राज्य सरकार, यदि ऐसा समीचीन हो तो, एक ही व्यक्ति को प्राधिकार के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(4) (i) संबंधित जिले का उपायुक्त या जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया पदाधिकारी प्रधिकार का प्रबंध निदेशक होगा। प्रबंध निदेशक प्रधिकार का उपाध्यक्ष भी होगा तथा इससे संबंधित समस्त कार्यो का निर्वाहन करेगा।

(ii) प्राधिकार के कार्यकारी निदेशक की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के अधार पर प्रथमतः तीन वर्षो के लिए की जाएगी।

नई कंडिका ऐसी सेवाएँ, हालांकि असंतोषजनक कार्य अथवा इस्तीफा के आधार पर किसी पक्ष को 15 दिनों की सूचना देते हुए समाप्त की जा सकेगी।

(iii) प्राधिकार के कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :

(क) वह प्राधिकार की ओर से सभी धन प्राप्त करेगा तथा उसके लिए रसीद देगा और उसका समुचित लेखा रखेगा;

(ख) वह प्राधिकार की निधी से वेतन और भत्तों के भुगतान तथा प्राधिकार के खर्चो को पूरा करेने के लिए धन निकालेगा;

(ग) वह प्राधिकार के किसी आदेश को अभिप्रमाणित करेगा,

(घ) वह प्राधिकार का सदस्य सचिव भी होगा तथा तत्संबंधी समस्त कार्यो का निर्वहन करेगा।

(ड.) वह किसी भी अन्य ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो समय–समय पर प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

(5) गैर–सरकारी निदेशकों को ऐसे भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए। *पदावधि।*

(6) प्राधिकार का प्रत्येक निदेशक तथा पदाधिकारी और कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

5. (1) गैर–सरकारी निदेशक, नियुक्ति की तिथि से दो वर्षो की अवधि के लिए प्राधिकार का पद धारण करेगे और वर पुनः नियुक्त होने के पात्र होगें।

(2) यदि सरकार मानती है कि किसी गैर–सरकारी निदेशक का कार्यालय में बने रहना प्राधिकार के हित में नहीं हैं, तो सरकार उसकी अवधि समाप्त करने का आदेश पारित कर सकेगी और तदुपरि, इस बात के होते हुए कि यह अवधि जिसके लिए वह मनोनीत किया गया था, समाप्त नही हुई है, प्राधिकार का सदस्य नहीं रहेगे।

(3) प्राधिकार का कोई गैर सरकारी निदेशक, अध्यक्ष के नाम पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और अध्यक्ष द्वारा उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से वह प्रभावी होगा।

6. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में निरर्हित होगा, यदि :– *निरर्हता।*

(क) वह ऐसे किसी अपराध, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अर्न्तग्रस्त है, के लिए सिद्वदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डदिष्ट किया गया है; या

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) वह विकृतचित का है; या

(घ) वह सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा में पदच्युत कर दिया या हटा दिया गया है; या

(ड.) उसका स्वयं या किसी भागी, नियोजक या कर्मचारी द्वारा, प्राधिकार के द्वारा या की ओर से किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्षत: कोई अंश या हित है।

प्राधिकार की बैठकें।

7. (1) प्राधिकार की साधारण बैठक, त्रिमास में एक बार अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि, समय और स्थान पर होगी।

(2) अध्यक्ष, जब कभी उचित समझता हो, विशेष बैठक बुला सकेगा।

(3) प्राधिकार की प्रत्येक बैठक, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य की अध्यक्षता में की जाएगी।

(4) प्राधिकार का सदस्य–सचिव बैठक के कम से कम चौबीस घण्टे पूर्व, प्राधिकार के सभी सदस्यों की बैठके की कार्यसूची के साथ नोटिस उपलब्ध करवाएगा।

(5) प्राधिकार के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(6) प्राधिकार की बैठक की कार्यवाहियाँ, अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित की जाएगी और प्राधिकार के सदस्य – सचिव द्वारा संधारित की जाएगी।

(7) प्राधिकार अपने कृत्यों और क्रिया–कलापों का, पालने करने के लिए, जैसा आवश्यक समझे, उपसमितियाँ, बना सकती है।

(8) उप–धारा (7) के अधीन बनाई गई उप–समितियों के कर्तव्य, कृत्य और पदावधि प्राधिकार द्वारा अवधारित किये जाएंगे।

प्राधिकार की स्थापना, शक्तियाँ और कृत्य

8. (1) प्राधिकार की अपनी स्थापना होगी, जिसके लिए वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियम बनाएगा।

(2) प्राधिकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, विभाग के आवश्यक कार्यक्रमों और सभी क्रिया–कलापों के प्रबंध को सुव्यवस्थित रूप से निष्पादित करेगा और निष्पादित करवाएगा।

(3) **प्राधिकार :–**

(क) प्राधिकार स्थल/क्षेत्र तथा उसकी सुख–सुविधाओं के आयोजन, विकास और अनुरक्षण तथा भूमि के आवंटन, पट्टा–निष्पादन और ऐसा आवंटन, पट्टा रद्द करने तथा फीस, लगान, प्रभार वसूल करने और उससे संबंधित बातों के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) पर्यटन से संबंधित सेवाएँ, यथा सूचना, आरक्षण, मार्गदर्शन, पार्किंग, प्रसाधन, पर्यटक स्थलों की साफाई, पर्यावरण उन्नत करने, प्रचार इत्यादि, की व्यवस्था और अनुरक्षण कर सकेगा;

(ग) पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ बनाए रखने में स्थानीय निकायें की सहायता कर सकेगा;

(घ) उपवन, झील और आमोद–प्रमोद केन्द्र, फव्वारों या कोई अन्य ऐसी सुविधाएँ बनवा और उनका अनुरक्षण कर सकेगा, जो क्षेत्र के पर्यटन मूल्य की वृद्धि करे;

(ङ) पर्यटन के विभिन्न प्रक्षेत्रों और सम्बद्ध क्रिया–कलापों में लगे हुए उद्योगों के लिए विकासात्मक उपाय कर सकेगा;

(च) विभाग के साधारण पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन, सभी पर्यटन इकाईयों और सम्बद्ध क्रिया–कलापों के सन्निर्माण, विस्तार, अनुरक्षण और संचालन को ऐसी रीति में, जिससे पर्यटन क्रिया–कलाप पर्यावरणिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से संपोषित बन जाएँ, विनियमित कर सकेगा;

(छ) अपने क्षेत्र के लिए पर्यटन मास्टर–प्लान तैयार कर सकेगा और पर्यटन संबंधी क्रिया–कलाप करने वाली सभी पर्यअन इकाईयाँ और स्थापनाएँ, उपर्युक्त मास्टर प्लान का अनुपालन करेंगी तथा प्राधिकार मास्टर प्लान का अनुपालन नहीं करने वाली इकाईयों या स्थापनाओं को बन्द करने का आदेश कर सकेगा;

(ज) ऐसे स्थल में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु ऐसे अधिसूचित पर्यटक स्थल का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की धार्मिक भावनाओं के अनुकूल ऐसे अधिसूचित पर्यटक स्थल में समस्त ऐसी सेवाओं को विनियमित कर सकेगा; और

(झ) को अपने क्षेत्र की सडकों, मकान की नालियों, भूमि और प्राधिकार की सम्पत्ति पर हुए अतिक्रमण को हटाने के प्रयोजनार्थ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 की धारा 196, 197, 198, 199, 200, 201 और 202 में यथा विनिर्दिष्ट नगरपालिका के कमिश्नरों की शक्तियाँ होंगी;

(ञ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों और कृत्यों, जैसा कि विभाग या सरकार द्वारा समय–समय पर इसे सौंपे जाएँ, का अनुपालन करेगा।

(4) **प्राधिकार** :–

(क) इसके द्वारा उपलब्ध करायी गई किन्ही प्रत्यक्ष सेवाओं पर शुल्क प्रभारित कर सकेगा; और

(ख) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अर्ध–सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों तथा किसी अन्य स्रोत से दान या अनुदान प्राप्त कर सकेगा तथा किसी स्रोत से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से उधार भी ले सकेंगा।

(5) राज्य सरकार समय–समय पर, प्राधिकार को कोई ऐसा अन्य कार्य सौंप सकेगी जो पर्यटन स्थल और उसकी सुख–सुविधाओं के योजनाबद्ध विकास या अनुरक्षण तथा उससे संबंधित बातों से संबंद्ध हो।

(6) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आवास, विद्यालय, इत्यादि जैसी नागरिक एवं पर्यटक सुख–सुविधाओं के आयोजन, विकास और अनुरक्षण, अतिक्रमण हटाने, आदि के लिए, प्राधिकार या अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक में अन्य अधिनियमों के अधीन ऐसी शक्तियाँ निहित कर सकेगी, जिनका इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकार या कानूनी निकाय अथवा राज्य एजेन्सी प्रयोग कर सकती है।

(7) यदि प्राधिकार की राय में, उसके द्वारा किसी विकास क्षेत्र में निष्पादित विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप, विकास से लाभान्वित क्षेत्र की किसी सम्पत्ति का मूल्य बढ गया हो, तो प्राधिकार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदित से, सम्पत्ति के स्वामियों या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति पर विकास कार्य के निष्पादन के फलस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि के लिए, सुधार प्रभार लगा सकेगा;

परन्तु, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्वाधिकृत भूमि पर कोई सुधार प्रभार नही लगाया जाएगा।

(8) किसी विकास क्षेत्र में स्थित किसी सम्पत्ति के संबंध सुधार प्रभार वह रकम होगी, जो विकास–स्कीम का निष्पादन होने से पूर्व सम्पत्ति को भवन सहित मानकर प्राक्कलित मूल्य से विकास स्कीम का निष्पादन पूरा हो जाने पर उसी रीति से प्राक्कलित सम्पत्ति का मूल्य से जितना अधिक होता हो, उसके एक–तिहाई के बराबर हो।

(9) राज्य सरकार प्राधिकार के प्रयोजनार्थ अपेक्षित किसी भूमि का अर्जन कर सकेगी जो भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन लोक प्रयोजन समझा जाएगा।

(10) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार विकास या उपयोग के प्रयोजनार्थ, झारखण्ड राज्य में निहित कोई विकसित या अविकसित भूमि प्राधिकार को सरकार द्वारा यथा निनिश्चित निबंधनों और शर्तों पर पट्टा विलेख द्वारा अंतरित कर सकेगी।

(11) यदि उपधारा (10) के अधीन प्राधिकार के जिम्मे इस प्रकार दी गई कोई भूमि किसी समय राज्य सरकार के लिए अपेक्षित हो तो प्राधिकार इसे राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर देगा।

(12) फीस, लगान या प्रभार मद्दे, अथवा भूमि, भवन या अन्य चल और अचल सम्पत्ति के निपटारे से अथवा लगान और मुनाफे के रूप में प्राधिकार को देय कोई धन प्राधिकार द्वारा लोक माँग वसूली अधिनियम (पब्लिक डिमांडस रिकवरी ऐक्ट), 1914 के अधीन भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(13) प्राधिकार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से राजपत्र में संकल्प

प्रकाशित कर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

प्राधिकार की निधियाँ

9. (1) प्राधिकार की अपनी निधि होगी जिसमें निम्नांकित प्राप्तियाँ जमा की जाएँगी और प्राधिकार के सभी भुगतांन उसमें से किए जाएँगे:

(क) प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, कर्ज और अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त सभी धन;

(ख) इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकार द्वारा प्राप्त सारी फीस, लगान, प्रभार, उद्ग्रहण और जुर्माने;

(ग) प्राधिकार द्वारा अपनी चल और अचल आस्तियों के निपटारे से प्राप्त सभी धन;

(घ) प्राधिकार द्वारा वित्तीय और अन्य संस्थाओं से कर्ज के रूप में और प्राधिकार के राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी स्कीम या स्कीमों के निष्पादन के लिए, जारी किये गये ऋण–पत्रों (डिबेंचर) से प्राप्त सभी धन।

(ड.) प्राधिकार गैर सरकारी स्रोत जैसे चंदा, गैरसरकारी ऋण आदि से भी निधि की प्राप्ति कर सकती है।

(च) प्राधिकार सरकारी एवं गैर सरकारी स्रोत से प्राप्त आय का प्रबंधन वित्तीय नियमों के अनुसार करेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकार को, प्राधिकार के सभी प्रशासनिक व्ययों और उद्देश्यों पर या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए, ऐसी राशि जो वह उचित समझें, खर्च करने की शक्ति होगी और ऐसी राशि प्राधिकार की निधियों में से व्यय के रूप में मानी जाएगी।

(3) प्राधिकार के खाते में जमा समस्त राशि, जिसे उप–धारा (2) में उपबन्ध के अनुसार तुरन्त उपयोजित न किया जा सकता हो, को पी०एल० खाता में जमा की जाएगी।

बजट, लेखा और अंकेक्षण

10. (1) प्राधिकार प्रत्येक वर्ष ठीक अगले वित्त वर्ष के लिए एक बजट पारित करेगा, जिसमे प्राधिकार के अनुमानित आमद–खर्च दिखाए जाऐंगे, और उतनी प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा जो नियमों द्वारा विहित हो और राज्य सरकार ऐसा निदेश जारी कर

सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समीचीन समझा जाय।

(2) प्राधिकार उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित रखेगी तथा लाभ और हानि लेखा तुलनपत्र सहित लेखे का वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाए, तैयार करेगा।

(3) प्राधिकार के लेखाओं का वार्षिक अंकेक्षण, झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा द्वारा किया जाएगा और उसके द्वारा ऐसे अंकेक्षण से संबद्ध किया गया कोई व्यय, प्राधिकार द्वारा झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा को भुगतान किया जाएगा तथा प्राधिकार उसे विभाग को अग्रसारित करेगा।

(4) ऐसे अंकेक्षण के संबंध में, झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा के वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जैसे झारखण्ड के महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में हैं और विशेषतया परिषद् की पुस्तकों, लेखों सम्बद्ध अभिश्रवों, दस्तावेजों और कागजपत्रों को प्रस्तुत किये जाने की माँग का अधिकार होगा।

(5) झारखण्ड के वित्त विभाग के अन्तर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा द्वारा यथा प्रमाणित, अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्राधिकार के लेखाएँ प्राधिकार द्वारा विभाग को वार्षिक रूप में अग्रसारित किए जाएंगे।

लेखों का विशेष अंकेक्षण

11. (1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा प्राधिकार के लेखा से संबंधित किसी विशेष सम्व्यवहार या वर्ग या संव्यवहार की श्रृंखला की विशेष अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति या अभिकरण द्वारा जैसा वह ठीक समझे, विशेष अंकेक्षण करवा सकेगी।

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन आदेश किया जाता है, प्राधिकार अंकेक्षण के लिए ऐसे लेखाएँ प्रस्तुत करेगी या करवाएगी और उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति या अभिकरण को ऐसी सूचना जैसी उक्त–व्यक्ति या अभिकरण अंकेक्षण के प्रयोजन

के लिए अपेक्षा करे, देगी।

वार्षिक प्रतिवेदन।

12. प्राधिकार का सदस्य–सचिव, वित्तीय वर्ष के अवसान की तारीख से तीन मास के भीतर प्राधिकार के क्रिया–कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी एक प्रति विभाग को अग्रसारित करेगा।

अध्याय – 3

पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक क्रीड़ा आपरेटर का निबंधन :

पर्यटन ईकाई का निबंधन।

13. (1) पर्यटन इकाई चलाने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, निबंधन के लिए, पर्यटन इकाई चलाने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को विहित रीति में आवेदन करेगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को झारखण्ड राज्य के भीतर, पहले से ही पर्यटन इकाई चलाने वाला कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निबंधन के लिए आवेदन करेगा,

परन्तु यह और कि पर्यटन इकाई का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति पर्यटन इकाई में कोई परिवर्तन या संवर्धन करता है तो ऐसे परिवर्तन या संवर्धन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नये निबंधन के लिए आवेदन करेगा,

(2) उप–धारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन का, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, निपटारा किया जाएगा ऐसा न होने पर, आवेदन को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी पर्यटन इकाई का संचालन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुरूप उसका निबंधन न किया जाए।

यात्रा अभिकर्ता या गाईड का निबंधन।

14. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक पर्यटन अभिकर्ता या गाईड के रूप में कारोबार नहीं करेगा, जबतक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निबंधित नहीं हो जाता :

परन्तु कोई व्यक्ति गाईड के रूप में निबंधित किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अर्हताएँ प्राप्त नहीं कर लेता जैसी विहित की जाएँ

परन्तु यह और कि किसी विहित अर्हता के होते हुए भी, जो व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, गाईड के रूप में कार्यरत थे, स्वयंमेव ही गाईडों के रूप में निबंधित किए जाऐंगे।

(2) पर्यटन अभिकर्ता या गाईड के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, इस रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में निबंधन के लिए आवेदन करेगा :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को झारखण्ड राज्य में यात्रा, अभिकर्ता या गाईड के रूप में काम करने वाला कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निबंधन के लिए आवेदन करेगा।

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन का, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर आवेदन को निबंधन के लिए स्वीकृत समझा जाएगा।

साहसिक क्रीड़ा संचालक का निबंधन।

15. (1) कोई व्यक्ति साहसिक क्रीडा का कारोबार तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निबंधित नहीं हो जाता।

(2) साहसिक क्रीड़ा संस्थान को चलाने या साहसिक क्रीड़ा संचालन के रूप में कार्य करने के लिए, इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, इस रूप में कार्य आरम्भ करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में,निबंधन के लिए आवेदन करेगा।

(3) उप–धारा (2) में, किसी बात के होते हुए भी, साहसिक क्रीड़ा संचालन के रूप में पहले से ही, कार्यरत कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के आरम्भ की तिथि से नब्बे दिन के भीतर, निबंधन के लिए आवेदन करेगा।

(4) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन का, आवेदन के प्राप्त

होने की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निपटारा किया जाएगा, ऐसा न होने पर आवेदन को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।

पर्यटन इकाई यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक के निबंधन का प्रमाण–पत्र

16. विहित प्राधिकारी द्वारा जब तक धारा 13, 14, और 15 के अधीन निबंधन से इन्कार नहीं किया जाता, यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालन के नाम और विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए संधारित पंजी में प्रविष्टि किये जाने का निर्देश देगा और यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता, गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालन को विहित रीति में निबंधन का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

पर्यटन इकाई यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक के निबंधन से इन्कार।

17. विहित प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से किसी आधार पर यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक का निबंधन करने से इन्कार कर सकेगा :

1860 का 45

(क) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालन या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 14 और 16 के अधीन, या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाद्य और औषधियों का अपमिश्रण, या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्यवसान से दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए है ;

(ख) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक को, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है और उन्मोचित नहीं किया गया है ;

(ग) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक खेल–कूद संचालक का नाम धारा 18 के

खण्ड (ग), (घ), (ड़) या (छ), में उल्लिखित आधार पर पंजी से हटाया गया है, और ऐसे हटाए जाने की तिथि से तीन माह व्यतीत नहीं हुए हैं

(घ) यदि पर्यटन इकाई का परिसर विहित मानक के अनुरूप नहीं हो ;

(ड़) यदि यात्रा, अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा आपरेटर विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं रखता हो ;

(च) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित निबंधन का प्रमाण–पत्र नहीं रखता हो ,

(छ) यदि पर्यटन इकाई संचालक सबूत पेश करने में विफल हो जाता है कि पर्यटन इकाई की संरचना, झारखण्ड के प्रासंगिक अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या प्रवृत किसी अन्य स्थानीय विधि के अधीन बनायी गयी भवन निर्माण उप–विधियों के अनुसार बनाई गयी है ; और

(ज) यदि विहित प्राधिकारी की राय में, निबंधन से इन्कार करने के लिए लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने के लिए पर्याप्त आधार हो,

परन्तु निबंधन के किसी आवेदन को तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि निबंधन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

रजिस्टर से पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक संचालक का नाम हटाना।

18. विहित प्राधिकारी, निम्नलिखित में से किसी आधार पर, लिखित आदेश द्वारा पंजी से यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक के नाम को हटा सकेगा और धारा 16 के अधीन जारी किये निबंधन के प्रमाण–पत्र को रद्द कर सकेगा ;

(क) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, पर्यटन इकाई को चलाना छोड़ देता है या यात्रा अभिकर्ता, या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, जिस के लिए वह निबंधित है, का कार्य करना छोड़ देता है ;

(ख) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीडा संचालक, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 14 और 16 के अधीन या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाद्य और औषधियों का अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्यवसान से, दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए है ;

(ग) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है, और उन्मोचित नहीं किया गया है ;

(घ) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या तद्धीन बनाये गये नियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है ;

(ड़) यदि पर्यटन इकाई संचालक ऐसे ठहरने वाले को, जो उसकी पर्यटन इकाई के तथा पार्श्वस्थ भवन के, अन्तःवासियों के लिए कष्टकारक बन रहा हो, निकालने में असफल रहता है या पर्यटन इकाई में जानबूझ कर रखता है ;

(च) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक के विरूद्ध अनाचार की कोई शिकायत प्राप्त होती है और साबित होती है ;

(छ) यदि पर्यटन इकाई संचालक, प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत गठित उपयुक्त प्राधिकरण या स्थानीय विधियों के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना संरचनात्मक परिवर्तन करता है ;

(ज) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीडा संचालक ने दुःअभ्यावेदन या कपट द्वारा

निबंधन का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है ;

(झ) यदि साहसिक क्रीड़ा संचालक, सुरक्षा के लिए विहित स्तर के अनुसार उपस्कर, जनशक्ति और अन्य सुविधाएँ नहीं रखता है ; और,

(ञ) यदि साहसिक क्रीड़ा संचालक, यथा विहित सुरक्षा उपाय के विषय में पूर्वावधानी नहीं लेता है ;

(ट) यदि, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक, या यात्रा अभिकर्ता, या गाईड या साहसिक क्रीडा संचालक समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, या विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा उसके परिसर के निरीक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, या ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त होता है, जो पर्यटन के पनपने एवं उसके प्रोत्साहन के लिए घातक हो ;

परन्तु इस धारा के अधीन, यथास्थिति किसी पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक का नाम पंजी से हटाने से पूर्व विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक को ऐसे आधार को दर्शाते हुए, जिन पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात कार्रवाई करना प्रस्तावित है, नोटिस देगा।

19. विहित प्राधिकारी : *पर्यटन इकाई का वर्गीकरण।*

विहित रीति से गठित की जाने वाली समिति के परामर्श से :

(क) पर्यटन इकाईयों को यथा विहित विभिन्न श्रेणियों, में वर्गीकृत कर सकेगा ; और

(ख) आवासन के मामले में प्रत्येक कमरे में ठहराए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित कर सकेगा।

20. (1) विहित प्राधिकारी, पर्यटन इकाई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पर्यटन इकाईयों के स्तर/श्रेणी और भोजन, आवासन तथा सेवा की *उचित दरें अधिसूचित करना।*

गुणवत्ता के स्तर के अनुरूप दरें या सेवा शुल्क, यदि कोई हो, जिन्हें पर्यटकों या ग्राहकों से "सीजन" और "ऑफ सीजन" के दौरान खान–पान या आवासन या दोनों के लिए प्रभारित किया जा सकेगा, अधिसूचित करेगा:

परन्तु प्रभारित की जाने वाली दर से संबंध में विवाद की दशा में, धारा 19 के अधीन गठित समिति का निर्णय अन्तिम होगा,

परन्तु यह और कि आवासन की दरें, प्रत्येक कमरे या विनिर्दिष्ट आवासन–सुविधा और आवासन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित की जाएँगी।

(2) विहित प्राधिकारी, उचित दरें, जिन्हें यात्रा अभिकर्ता या गाईड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसके द्वारा उसे इस रूप में लगाने वाले व्यक्ति को दी गई सेवाओं के लिए उससे (व्यक्ति से) प्रभारित कर सकेगा, अधिसूचित करेगा।

(3) विहित प्राधिकारी, साहसिक क्रीड़ा और अन्य सुविधाओं के स्तर के अनुरूप उचित दरें, जो साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँ, जो पर्यटकों से उसके द्वारा प्रभारित की जा सकेगी, अधिसूचित करेगा।

उचित दरों का पुनरीक्षण।

21. विहित प्राधिकारी, समय–समय पर धारा 20 के अधीन अधिसूचित उचित दरों का पुनरीक्षण कर सकेगा।

उचित दरों का अधिसूचित करना, जबतक कि विहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित न की जाए।

22. ऐसे समय तक, जब तक कि विहित प्राधिकारी धारा 19 और 20 के अधीन, यथा अपेक्षित उचित दरें और प्रत्येक कमरे में आवासित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिसूचित नहीं करता, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालक उचित दरों को अधिसूचित करेगा और प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक विहित प्राधिकारी को उन्हें सूचित करेगा तथा "सीजन" की अवधि के लिए पृथक दरें नियत की जाएगी और ऐसी दरें उस वर्ष के प्रथम अक्टूबर से आगामी वर्ष के तीस सितम्बर तक प्रभावी होगी।

सूचना का प्रदर्शन

23. जहाँ विहित प्राधिकारी ने धारा 19 और 20 के अधीन उचित दरें और प्रत्येक कमरे में आवासित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिसूचित या पुनरीक्षित की हों अथवा उस दशा में जहाँ विहित प्राधिकारी ने उचित दरें अधिसूचित नहीं की हो, वहाँ यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, उचित दरें और प्रत्येक कमरे में आवासित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या की सूचना, पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक के कारोबार के परिसर में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा और पर्यटन इकाई संचालक का अभिकर्ता, विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित ऐसी सूचना की प्रति अपने पास भी रखेगा।

उचित दरों से अधिक वसूलीय प्रभार।

24. (1) किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी, यथास्थिति, कोई पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, नियत उचित दरों से अधिक कोई रकम प्रभारित नहीं करेगा।

(2) आवासित किए जाने वाले व्यक्ति या किसी ग्राहक के द्वारा नियत उचित दरों से अधिक भुगतान की गई राशि, आवासित किए जाने वाले व्यक्ति या किसी ग्राहक को विहित प्राधिकारी के माध्यम से, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा प्रत्यार्पणीय होगी।

यदि उचित दर भुगतान की गई हो तो बेदखल न किया जाना।

25. यथास्थिति, कोई भी पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, आवासित किए जाने वाले व्यक्ति या किसी ग्राहक को, जब तक कि वह नियत उचित दर का भुगतान करता है या भुगतान करने के लिए तैयार और तत्पर है और अपने करार की अन्य शर्तों का, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत अधिनियम है, पालन और कार्यान्वयन करता है, बेदखल या किसी अन्य सेवा से इन्कार नहीं करेगा।

पर्यटन इकाई संचालक कब कब्जा वापस ले सकेगा।

26. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पर्यटन इकाई संचालक उसके द्वारा दी गई आवास–सुविधा का, विहित प्राधिकारी से उस आशय का आदेश प्राप्त करके कब्जा लेने का हकदार होगा कि :

(क) आवासित व्यक्ति, ऐसे आचरण का दोषी है जो कष्टकारक है या किसी अन्य आवासित व्यक्ति के लिए क्षोभ पैदा करता है, या

(ख) आवासित व्यक्ति, आवास–सुविधा प्रभार का भुगतान करने में असफल हो गया है ; या

(ग) आवासित व्यक्ति आवास–सुविधा के बारे में किये गये करार की अवधि की समाप्ति पर, उसे खाली करने में असफल रहा है :

परन्तु इस धारा के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व विहित प्राधिकारी, संक्षिप्त जाँच कर सकेगा और संक्षिप्त रीति में समुचित आदेश पारित करेगा,

परन्तु यह और कि विहित प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई पक्षकार, सम्बद्ध जिला के उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा, जो इसे संक्षिप्त रीति में निपटाएगा।

(2) यदि आवासित व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उप–धारा (1) के अधीन आदेश पारित हुआ है, उक्त आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, तो विहित प्राधिकारी, आदेश को लागू करवाने के लिए पुलिस की सहायता ले सकेगा और प्रत्येक पुलिस अधिकारी उक्त आदेश के अनुपालन हेतु सहायता करेगा।

पर्यटन इकाई संचालक, यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा बिलों का ब्यौरे–वार पेश किया जाना।

27. यथास्थिति पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, आवासित और अन्य ग्राहकों को ब्यौरे–बार बिल पेश करेगा और समस्त भुगतान की पावती स्वरूप रसीद देगा।

पर्यटन इकाई संचालक कब विशेष दर पर बुकिंग का पुष्टिकरण कर सकेगा।

28. यदि पर्यटन इकाई संचालक विशिष्ट दर पर बुकिंग का पुष्टिकरण करता है, तो उस व्यक्ति जिसके लिए आवास–सुविधा बुक की गई है, के पहुँचने के समय चाहे आवास–सुविधा केवल उच्च दरों पर ही उपलब्ध हो, तो उसे उसी दर पर देगा।

प्रवेश निरीक्षण, जब्ती की शक्ति और पर्यटन इकाई संचालक इत्यादि द्वारा सांख्यिकी आंकड़े प्रदत्त करना।

29. (1) विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का, यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया गया है तो वह यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालक की पर्यटन इकाई या कारोबार के परिसर में प्रवेश कर सकेगा और पूर्व सूचना से या, बिना सूचना के समस्त लेखाओं पंजियों, दस्तावेजों, और अन्य पुस्तिकाओं का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) यदि विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के पास कोई संदेह करने का कारण है कि, यथास्थिति कोई पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालक, इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या अपवंचन किया है, तो ऐसा प्राधिकारी या पदाधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए यथास्थिति ऐसे संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक के ऐसे लेखाओं पंजियों, दस्तावेजों या अन्य पुस्तिकाओं को, जैसा आवश्यक हो, जब्त कर सकेगा और उसके लिए रसीद देग तथा उसे तब तक रखेगा, जब तक परीक्षण या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

(3) यथास्थिति प्रत्येक पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा संचालक पर्यटकों के आगमन, सम्बद्ध ईकाई द्वारा नियोजित कर्मचारियों तथा विभाग द्वारा यथानिदेशित कोई अन्य सूचना के संबंध में सांख्यिकीय आँकड़ा विहित प्राधिकारी को प्रत्येक माह की अनुगामी दस तारीख तक उपलब्ध कराएगा।

यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा "टिप" (बख्शीश) इत्यादि माँगना।

30. यथास्थिति यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालक उसे नियुक्त करने वाले किसी व्यक्ति या किसी पर्यटक इकाई संचालक, जिसकी पर्यटक इकाई में ऐसा व्यक्ति निवास करता है या निवास करने का आशय रखता है, से धारा 20 के अधीन यथा नियत दरों के अलावा, कोई "टिप" (बख्शीश), उपदान, उपहार या कमीशन की माँग नहीं करेग।

31. साहसिक क्रीड़ा संचालक, उसकी सेवाएँ लेने वाले व्यक्तियों की, जैसा विहित किया जाए, बीमा रक्षण की व्यवस्था करेगा। *बीमा।*

अध्याय – 4
अपील और पुनरीक्षण

32. (1) उप–धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील, सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अपील प्राधिकारी के समक्ष होगी। *अपील।*

(2) प्रत्येक ऐसी अपील, आदेश निर्गत की तिथि से नब्बे दिन के भीतर दायर की जाएगी :

परन्तु अपील प्राधिकारी, उक्त नब्बे दिन की अवधि अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से युक्ति–युक्त कारणों द्वारा बाधित हुआ था।

(3) अपीलार्थी को, अधिवक्ता या विधिवत् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार होगा तथा विहित प्राधिकारी का ऐसे पदाधिकारी या व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा, जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करें।

(4) किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

33. सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला पुनरीक्षण प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या व्यक्ति पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, अपील प्राधिकारी द्वारा निपटाए गए मामले के अभिलेखों को, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सहीकरण, वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के उद्देश्य से मँगवा सकेगा तथा तदुपरि ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह उचित समझे और ऐसा आदेश अन्तिम होगा : *पुनरीक्षण।*

परन्तु पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश निर्गत की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि अवसान के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, किसी प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए या उसके सम्मुख लम्बित किसी मामले का अभिलेख मँगवा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा या विधिवत् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

अध्याय – 5
अपराध और शास्तियाँ

प्राधिकार के किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति।

34. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी संरचना या अतिक्रमण को हटाने या भूमि अथवा भवन के इस्तेमाल करने संबंधी प्राधिकार के द्वारा इस निमित्त लागू किसी विनियमन के प्रतिकूल प्राधिकार के किसी आदेश का उल्लंघन करता है, 1,00,000/– रूपये से अनधिक जुर्माने से या छह मास से अनधिक अवधि के साधारण कारावास से या दोनों से और दंडित करने के उपरांत यदि उल्लंघन जारी रहता हो तो 500 रूपये प्रतिदिन से अनधिक, जब तक व्यक्तिक्रम जारी रहता है, के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अभियोग के क्रम में वसूल किए गए सभी जुर्माने प्राधिकार को चुकाए जायेंगे।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से अन्यून पंक्ति के न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा।

35. इस अधिनियम के अधीन उचित निबंधन के बिना या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के उल्लंघन में, पर्यटन इकाई या यात्रा अभिकर्ता या गाईड या साहसिक क्रीड़ा या पर्यटन व्यापार से संबंधित कोई अन्य कारोबार करने वाला कोई व्यक्ति, छह मास से अधिक अवधि के साधारण कारावास से या 50,000/– (पच्चास हजार) रूपये से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से और यदि उल्लंघन जारी रहता हो तो, कम से कम पाँच सौ रूपये प्रतिदिन और अधिक से अधिक दो हजार रूपये प्रतिदिन जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

निबंधन में व्यतिक्रम के लिए शास्ति।

36. इस अधिनियम के अधीन कथन देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, यदि जानबूझ कर मिथ्या कथन करता है या विहित प्राधिकारी को भुलावा देने के लिए किसी सारभूत तथ्य को छुपाता है, तो वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या पचीस हजार रूपये से अनधिक जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा।

मिथ्या कथम के लिए शास्ति।

37. कोई व्यक्ति जो, विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए निबंधन के प्रमाण–पत्र को उधार देता है, हस्तान्तरित या समनुदेशित करता है, तो वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या पच्चास हजार रूपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

प्रमाण–पत्र का बिना अनुज्ञा के समनुदेशित न किया जाना।

38 (1) इस अधिनियम के अधीन निबंधित कोई व्यक्ति, किसी भी समय, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के माँग करने पर, अपना निबंधन प्रमाण–पत्र दिखाएगा :

व्यक्तियों के माँगने पर प्रमाण–पत्र प्रमाण–पत्र दिखाया जाना

(क) विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित विधिवत् प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, और

(ख) सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या निदेशक, पर्यटन झारखण्ड द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, और

(ग) कोई वास्तविक ग्राहक।

(2) कोई व्यक्ति, जो प्राधिकृत व्यक्तियों में से किसी के द्वारा माँगने पर

अपना निबंधन प्रमाण–पत्र दिखाने या इसे पढ़ने की अनुमति देने से इन्कार करता है, तो वह दस हजार रूपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

39. कोई व्यक्ति जो अनाचार करता है या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध जिसके लिए कोई भी विनिर्दिष्ट शास्ति उपबन्धित नहीं की है, का उल्लंघन करता है, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या 1,00,000/– रूपये से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा। *अनाचार के लिए शास्ति।*

40. यदि कोई व्यक्ति, विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में या द्वारा उसे प्रदत्त या उसको अधिरोपित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या कर्त्तव्यों के उन्मोचन में, जानबूझ कर कोई बाधा डालता है या कोई प्रतिरोध करता है अथवा अन्यथा विघ्न डालता है, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या 1,00,000/– रूपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। *विधियुक्त प्राधिकारियों को बाधा पहुँचाना।*

41. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों पर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया प्राधिकृत प्रथम श्रेणी के किसी अन्य दंडाधिकारी द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और ऐसे विचारण पर जहाँ तक हो सके, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (दोनों को सम्मिलित करके) के उपबन्ध लागू होंगे। *1974 का 2 मामलों का संक्षेपतः विचारण करने की न्यायालयों की शक्ति।*

परन्तु इस धारा के अधीन, विचारण प्रारम्भ होने पर या उसके संक्षेपतः विचारण के दौरान, जब दंडाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि किसी कारण से उसका संक्षेपतः विचारण अवांछनीय है, तो दंडाधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात किसी साक्षी को, जिसका परीक्षा किया गया है, पुनः बुलाएगा और उपर्युक्त संहिता में उपबन्धित रीति से मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा।

42. विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा इस *कार्यवाहियाँ संस्थित करना।*

अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

1908 का 5 विहित प्राधिकारी की साक्षियों तथा अन्य व्यक्तियों को समन करने और हाजिर करवाने की शक्ति।

43. विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन आवेदन पर सुनवाई करते समय, निम्नलिखित मामलों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी :

(क) परिवादी या ऐसे व्यक्ति, जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन परिवाद किया गया है को और इस संबंध में उससे (परिवाद से) अपेक्षित साक्षियों को समन करने और उपस्थित करवाने

(ख) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए, बाध्य करने और

(ग) शपथ पर साक्षियों का परीक्षण करने और किसी भी व्यक्ति को जिसका साक्ष्य सारभूत प्रतीत होता है, स्वप्रेरणा से समन और उसका परीक्षण कर सकेगा।

अपराधी का शमन।

44. (1) विहित प्राधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति, जिस पर उसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का युक्ति–युक्त संदेह हो, से ऐसे अपराध के शमन के रूप में कोई राशि स्वीकार कर सकेगा और ऐसी प्राप्त की गई राशि से ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध अपराध किया गया हो, उस विस्तार तक, जिसे विहित प्राधिकारी युक्ति–युक्त समझे, क्षतिपूर्ति दे सकेगा।

(2) अपराध के शमन पर उसके बारे में अभियुक्त के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और यदि उसके विरूद्ध न्यायालय में पहले से कोई कार्यवाही संस्थित की गई हो, तो शमन दोषमुक्ति के रूप में प्रभावी होगा।

अध्याय–6
प्रकीर्ण

परिवतनों की अधिसूचना

45. (1) जब कोई पर्यटन इकाई, जिसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा निबंधन प्रमाण–पत्र लिया गया है, उत्तराधिकार द्वारा या अन्यथा किसी दूसरे व्यक्ति को न्यायगत हो जाती है, या इस अधिनियम के अधीन इस विषय में पंजी में की गई किसी विशिष्ट प्रविष्टि में

परिवर्तन हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे न्यायगत या परिवर्तन की तिथि से तीस दिन के भीतर ऐसे तथ्य को लिखित रूप में विहित प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

(2) विहित प्राधिकारी, इस प्रयोजन के लिए संधारित पंजी और निबंधन प्रमाण–पत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

(3) उप–धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी पंजी से ऐसे व्यक्ति, जिसके पक्ष में प्रमाण–पत्र जारी किया गया था, का नाम हटा सकेगा और यदि उत्तराधिकारी इस अधिनियम के अधीन निबंधित किए जाने का पात्र नहीं है तो निबंधन के प्रमाण–पत्र को रद्द कर सकेगा।

निबंधन प्रमाण–पत्र वापस करना।

46. इस अधिनियम के अधीन जब निबंधन प्रमाण–पत्र रद्द किया जाए तो प्रमाण–पत्र का धारक व्यक्ति, विहित रीति से रद्दकरण आदेश तामील होने की तिथि से सात दिन के भीतर इस विहित प्राधिकारी को वापस करेगा।

नकल प्रमाण–पत्र।

47. इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया निबंधन प्रमाण–पत्र यदि गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण–पत्र के धारक व्यक्ति द्वारा इस निमित किए गए आवेदन पर और विहित शुल्क के भुगतान पर नकल प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

प्रमाण–पत्र का नवीकरण।

48. इस अधिनियम के अधीन निबंधित यथास्थिति, पर्यटन इकाई संचालक या यात्रा अभिकर्त्ता या गाइड या साहसिक क्रीड़ा संचालक विहित प्राधिकारी द्वारा निबंधन प्रमाण–पत्र निगर्त करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् इसका नवीकरण कराएगा और नवीकरण शुल्क, जैसा विहित किया जा, का भी भुगतान करेगा।

निबंधन प्रमाण–पत्र का प्रदर्शित रखा जाना।

49. निबंधन प्रमाण–पत्र, इसके धारक व्यक्ति द्वारा, उसके कारोबार के मुख्य स्थान के सहज–दृश्य स्थान पर रखा जाएगा और यदि उसके कारोबार का मुख्य स्थान न हो या वह किसी विशेस स्थान से अन्यथा कारोबार चलाता हो तो वह इसे अपने पास रखेगा।

विहित प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक

50. इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के समक्ष सभी कार्यवाहियाँ भारतीय दंड संहिा, 1860 की धारा 193 और 228 के प्रयोजन के लिए

न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाऐगी। *कार्यवाहियाँ होना।*

51. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी कृत्य के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के अथवा किसी व्यक्ति के विरूद्ध नही चलाई जाएगी। *परित्राण।*

52. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के सभी या कोई उपबन्ध, ऐसे अपवादों, अनुकूलीकरणों या उपातरणों सहित जैसे आवश्यक समझे जाएँ, झारखण्ड राज्य में बाह्य फोटो खींचने, गृह नौका, डोंगी, स्नानागार नौका (बेदिंग वोद) शिकारे इत्यादि को किराये पर देने या उन्हें चलाने के कारोबार में लगे व्यक्तियों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, पर लागू होंगे और विहित प्राधिकारी, ऐसी की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली दरें नियत कर सकेगा। *अन्य व्यक्तियों पर अधिनियम को लागू करने की सरकार की शक्ति।*

53. (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी। *नियम बनाने की शक्ति।*

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विशेष कर ऐसे नियमों में :

(क) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यावित करने के लिए किसी पर्यटन विकास प्राधिकार के लिए नियम बना सकेगी और विशेष कर निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी।

(i) प्राधिकार की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाना;

(ii) अप्राधिकृत संरचनाओं को हटाना;

(iii) ऐसे भवनों को गिराना, जिनसे योजना में बाधा पड़ती हो या जो प्राधिकार के विनियमों का उल्लंघन करते हुए खड़े किये गये हों;

(iv) प्राधिकार के कर्त्तव्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित विषयों पर प्राधिकार द्वारा राज्य सरकान की रिर्पोटो और विवरणियों का उपस्थापन; और

(v) राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेशों का जारी किया जाना, जिनमें इस अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापक सिद्धांत अधिकथित हों।

(ख) पर्यटन इकाई संचालक, यात्रा अभिकर्ताओं, गाइडों और साहसिक क्रीड़ा संचालक द्वारा कारोबार के संचालन के लिए, पंजियों, पुस्तकों और प्रपत्रों का संधारण करना;

(ग) निबंधन के लिए आवेदन और निबंधन के प्रमाण--पत्र का प्रपत्र;

(घ) निबंधन नवीकरण और डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए, शुल्क;

(ड.) इस अधिनियम के अधीन नोटिस देने की रीति;

(च) पर्यटन इकाईयों का वर्गीरण;

(छ) पर्यटन इकाई संचालक, यात्रा अभिकर्ता, गाइड और साहसिक क्रीड़ा संचालक के रूप में निबंधन के लिए अर्हता;

(ज) साहसिक क्रीड़ा के संचालन में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय और मानक तथा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ;

(झ) विभिन्न प्रकार की पर्यटन इकाईयों में स्वास्थ्य और सफाई, अपशिष्ट निपटान और न्यूनतम सुविधाओं को बनाये रखने के लिए मानक;

(ञ) रजिस्टर से हटाये गये, पर्यटन इकाई, यात्रा अभिकर्ता, गाईड और साहसिक क्रीड़ा संचालक के नाम और पते प्रकाशित करने की रीति;

(ट) वह रीति, जिसमें नियत उचित दरें प्रदर्शित की जाएगी,

विहित प्राधिकारी की टिकटों के प्रकार, और जारी की जाने वाली रसीदें, उसके लेखे और विवरणी प्रस्तुत करना और बनाए रखना, अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क और अन्य देयों का संग्रहण और निक्षेप;

(ठ) प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया, पाठ्य–क्रम, कर्मचारीवृन्द, उपस्कर और भवनों के मानक; और

(ड) वह स्थान, जहाँ विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन जाँच करेगा और इस अधिनियम के अधीन स्पष्ट रूप में विहित किए जाने वाले सभी विषय।

(3) इस धारा के अधीन बनाएँ गए सभी नियम पूर्ववर्ती प्रकाशन की शर्तो के अध्यधीन होंगे।

54. यथापूर्वोक्त के सिवाय, इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियमों और विनियमों के उपबंध, राज्य में प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के असंगत होने पर भी, प्रभावी होंगे। *व्यावृति*

❁❁❁❁

यह विधेयक झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015 दिनांक 27 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 32--50--8-9-2015 ।